



गाय - 603
" - 605

न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460507246
वाद संख्या:- 7246/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम शकील अहमद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 09/05/2026

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खसरा सं० 196 का कुल रकबा 0.3410 हे० में से विकीत रकबा 0.0426 हे०, खसरा सं० 570 का कुल रकबा 0.0630 हे० में से विक्रीत रकबा 0.00780, खसरा सं० 308 का कुल रकबा 0.5700 हे० में से विकीत रकबा 0.0712 हे०, खसरा सं० 440 का कुल रकबा 0.9110 हे० में से विकीत रकबा 0.1138 हे०, खसरा सं० 348 का कुल रकबा 0.2630 हे० में से विकीत रकबा 0.0657 हे०, खसरा सं० 361 का कुल रकबा 0.0740 हे० में से विकीत रकबा 0.0185 हे०, खसरा सं० 563 का कुल रकबा 0.2530 हे० में से विकीत रकबा 0.2530 हे०, खसरा सं० 605 का कुल रकबा 0.1370 हे० में से विकीत रकबा 0.1370 हे०, खसरा सं० 574 का कुल रकबा 0.1140 हे० में से विकीत रकबा 0.1140 हे०, खसरा सं० 603 का कुल रकबा 0.1640 हे० में से विकीत रकबा 0.1640 हे०, कुल रकबा 2.8900 हे० में से विकीत रकबा 0.9876 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग। मांगु 60 ख से अंकित खातदार विक्रेता श्री शकील अहमद पुत्र हैदर अली व श्री बतलन पत्नी हैदर अली निवासी गण काकोरी मोड सरोसा भरोसा सदरोन लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 02.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



काय-603
काय-605

न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460507246
वाद संख्या:- 7246/2026
शानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम शकील अहमद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 09/05/2026

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खसरा सं० 196 का कुल रकबा 0.3410 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0426 हे०, खसरा सं० 570 का कुल रकबा 0.0630 हे० में से विक्रीत रकबा 0.00780, खसरा सं० 308 का कुल रकबा 0.5700 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0712 हे०, खसरा सं० 440 का कुल रकबा 0.9110 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1138 हे०, खसरा सं० 348 का कुल रकबा 0.2630 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0657 हे०, खसरा सं० 361 का कुल रकबा 0.0740 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0185 हे०, खसरा सं० 563 का कुल रकबा 0.2530 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2530 हे०, खसरा सं० 605 का कुल रकबा 0.1370 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1370 हे०, खसरा सं० 574 का कुल रकबा 0.1140 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1140 हे०, खसरा सं० 603 का कुल रकबा 0.1640 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1640 हे०, कुल रकबा 2.8900 हे० में से विक्रीत रकबा 0.9876 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग। मांगु 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री शकील अहमद पुत्र हैदर अली व श्री बतलन पत्नी हैदर अली निवासी गण काकोरी मोड सरोसा भरोसा सदरोन लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 02.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



जाय - 605सं



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202510460543870
वाद संख्या:- 43870/2025
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार बनाम शहीद)
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 09/03/2026

प्रस्तुत वाद लेखपाल हस्तान्तरण रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमे विक्रय पत्र दिनांक 07.11.2025 आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। लेखपाल के बयान से स्पष्ट है कि भूमि का सम्बन्ध सीलिंग, भूदान, ग्राम समाज की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1425 से 1430 फसली के खाता संख्या 00165 गाटा संख्या 605स रकबा 0.1910 हे०, गाटा संख्या 487स रकबा 0.2250 हे०, गाटा संख्या 439स रकबा 0.3160 हे०, कुल रकबा 0.7320 हे० में से विक्रीत रकबा 0.6060 हे०, अपना सम्पूर्ण अंश मा०गु० 60ख से विक्रेता श्री शहीद पुत्र रज्जा निवासी-ग्राम गहलवारा जनपद लखनऊ, निवासी-पुरैना, लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत-वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर, लखनऊ, उ०प्र० का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक

07.11.2025 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"